अध्याय 6

प्रकीर्ण

2002 के अधिनियम 58 की धारा 13 का संशोधन।

113. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (1) में, "31 मार्च, 2009" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2014" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 का संशोधन।

114. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 में धारा 113 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अक्तूबर, 2009 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 2004 का 23

अध्याय 7 का कतिपय दशाओं में लागू न होना।

"113क. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के उपबंध आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (44) में निर्दिष्ट नई पेंशन प्रणाली न्यास के लिए या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों को लागू नहीं होगी ।"। 1961 का 43

2008 के अधिनियम 18 का संशोधन।

115. वित्त अधिनियम, 2008 की धारा 121 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अध्याय 7 के उपबंधों का वस्तु संव्यवहार कर को लागू न होना।

"121क. इस अध्याय की कोई बात 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहार को या उसके संबंध में लागू नहीं होगी ।"।

निरसन ।

116. वित्त अधिनियम, 2009 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है और कभी अधिनियमित न किया गया समझा जाएगा । 2009 का 26

————

अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 111 के उपबंध अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे । 1931 का 16